10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

55

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क्रं. । निगरानी । दिनांक 28-12-2012

R-4408-II/12

श्री जगन्ना तनय रघवा कुम्हार
निवासी बरोंही तहसील महाराजपुर
जिला :- छतरपुर (म.प्र.)

श्री जगन्ना आवेदक स्वयं द्वारा आज दि. 28-12-12 को प्रस्तुत
28-12-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम — आवेदक

1 श्री तिजवा तनय गन्ना कुम्हार
निवासी बरोंही तहसील महाराजपुर
जिला :- छतरपुर (म.प्र.)

निःअंगूठा 2- श्री श्याम सुन्दर सोनकिया
पटवारी बरोंही तहसील महाराजपुर
3- श्री जनक अहिरवार पटवारी
तहसील महाराजपुर जिला :- छतरपुर (म.प्र.)
4. म.प्र. शासन

— अनावेदकगण

विषय :- प्र.क्र. 48/अ.12/2003-04
तिजवा कुम्हार वगै. बनाम शासन
में पारित आदेश दिनांक 30-6-2004
के विरुद्ध निगरानी किये जाने बावद
~~[illegible]~~

महोदय
निवेदन है कि प्र.क्र. 48/अ.12/2003-04

में पारित आदेश दिनांक 30-6-2004 से दुखी होकर प्रार्थी निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत करता है।

1. यह कि मौजा बरोंही की भूमि खं.क्र. 176 रकबा 7.65 एकड़ भूमि है जो वर्ष 1944-45 में दर्ज है जबकि अनावेदक क्र. 1 तिजवा तनय गन्ना कुम्हार निवासी बरोंही को रकबा एकड़ में 2.10 पर भूमिस्वामी हक है ललू कुम्हार एकड़ मे 1-83 एकड़ भूमि स्वामी स्वत्व [illegible]

निःअंगूठा जगन्ना [illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4408-दो/2012 | छतरपुर   जगना विरूद्ध तिजवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. दिनांक 05-09-2018 को आवेदक जगना के अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अनावेदक क्रमांक 1 तिजवा के अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह को सुना जा चुका है । अनावेदक क्रमांक 4 शासन के अभिभाषक श्री अजय निरंकारी भी उपस्थित रहे । अनावेदक क्रमांक 2, 3 के विरूद्ध पूर्व से एक पक्षीय कार्यवाही की गई है । 3. प्रकरण वर्ष 2012 से लम्बित है । उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये । 4. सीमांकन आदेश दिनांक 30-06-2004 में संलग्न पंचनामा दिनांक 07-06-2004 के अनुसार (भूमिस्वामी तिजवा तनय गन्ना कुम्हार) ग्राम बरौंही की भूमि ख.नं. 176 के रकबा 0.842 हे. के सीमांकन करने पर मौके पर जगना तनय रघुवर कुम्हार का कब्जा प्रतिवेदत है । उक्त सीमांकन आदेश दिनांक 30-06-2004 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 5. मेरे द्वारा निगरानी मेमों का अध्ययन किया गया, एवं साथ ही अधीनस्थ नायब तहसीलदार महाराजपुर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 48/अ-12/2003-04 के अभिलेख का भी अध्ययन किया गया । 6. अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख अनुसार सरहदी काश्तकारों सहित निगरानीकर्ता को सीमांकन दिनांक 07-06-2004 की सूचना दी गई थी, एवं सरहदी काश्तकारों की उपस्थिति में सीमांकन किया गया था । सूचना पत्र पर अंकित टीप अनुसार जगना के द्वारा सूचना पत्र में हस्ताक्षर से इंकार	

20.9.18

42	किया था । गवाही के तौर पर अन्य व्यक्तियों के दस्तखत/अंगूठा है । सीमांकन पंचनामा प्रतिवेदन में भी समीपस्थ काश्तकारों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा है । इससे स्पष्ट है कि सरहदी काश्तकारों को सीमांकन की सूचना दी गई थी । 7. अतः उपरोक्त के अनुक्रम में निगरानी आवेदन निरस्त किया जाता है । निगरानीकर्ता अपने स्वत्व की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है । 8. उभयपक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये । 20.9.18 (आर.के. जैन) सदस्य